

राजस्थान सरकार
न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) एवं
सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) भीलवाड़ा

क्रमांक: भूमि अवाप्ति/प्रतिकर/प्र0सं0/180/2018

दिनांक मार्च, 2019

05-04-2019

उनवान

1.	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा	बनाम	1.	श्री मोती पुत्र धन्ना कुम्हार, निवासी पान्सल, तहसील व जिला भीलवाड़ा
	---प्रार्थी			---विपक्षी


:: संशोधित अवाई आदेश ::

अवाई अन्तर्गत धारा 3 G एवं Section 24 of RFCTLARR Act, 2013 to
Acquisition Under NH Act, 1956

राष्ट्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा 3D दिनांक 01/03/2018 से राजमार्ग संख्या 79 के छःलेन निर्माण/चौड़ाकरण हेतु राजस्व ग्राम पान्सल की आराजी नं0 2005/2 में से अवाप्ताधीन भूमि के संबंध में नवीन भूमि अर्जन पुनःवास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत प्रकरण में प्रतिकर निर्धारण किया जाकर निर्धारित राशि 1,28,450- रूपये का भुगतान हितबद्ध को किये जाने हेतु अवाई दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को जारी किया गया था। अवाई की प्रति प्रार्थी परियोजना निदेशक को भेजकर निर्देश दिये गये थे कि निर्धारित प्रतिकर राशि का बजट न्यायालय के बैंक अकाउन्ट में शीघ्र जमा कराया जावे।

नवीन भूमि अधिनियम, 2013 में प्रतिकर निर्धारण हेतु ब्याज की गणना अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन अथवा स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन की दिनांक से की जानी है, के संबंध में स्थिति स्पष्ट कराने हेतु प्रार्थी परियोजना निदेशक को बैठक दिनांक 10/04/2018 दिनांक 31/05/2018 दिनांक 25/06/2018 में निरन्तर निर्देशित किया गया था तथा पत्रांक 94 दिनांक 16/04/2018, पत्रांक 135 दिनांक 01/06/2018, पत्रांक 152 दिनांक 28/06/2018 से लिखित में जानकारी भी चाही गई थी। प्रार्थी परियोजना निदेशक द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार भी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने, उनके प्रतिनिधि द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक से ब्याज देय होना बताये जाने पर तदनुसार अवाप्ताधीन भूमि की मूल कीमत राशि पर ब्याज की गणना की जाकर न्यायालय द्वारा अवाप्ति प्रकरण में प्रतिकर का निर्धारण किया गया था।

परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा ने प्रकरण में अवाई जारी होने के उपरान्त पत्रांक: 5192 दिनांक 16/01/2019 से अवगत कराया कि 12% ब्याज की गणना 3A अधिसूचना के समाचार पत्र में प्रकाशन की दिनांक से की जानी है। पत्रांक: 5229 दिनांक 22/01/2019 से प्रकरण में जारी अवाई के बजट राशि में ब्याज की गणना समाचार पत्र प्रकाशन दिनांक से संगणित की जाना अवगत कराया। पत्रांक 5252 दिनांक 24/01/2019 से प्राधिकरण मुख्यालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण दिनांक 06/10/2015 की प्रति उपलब्ध करायी।


अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति),
भीलवाड़ा

अतः प्रार्थी द्वारा किये गये अनुरोध एवं प्राधिकरण द्वारा जारी स्पष्टीकरण के क्रम में राजमार्ग संख्या 79 के छःलेन निर्माण/चौड़ाकरण हेतु राजस्व ग्राम पान्सल तहसील भीलवाड़ा की अवाप्ताधीन आराजी नं० 2005/2 में से 0.0075 हैक्टर भूमि के निर्धारित किये गये प्रतिकर आदेश/अवार्ड दिनांक 24/09/2018 में भूमि कीमत के देय ब्याज में तदनुसार संशोधन किया जाता है। अवार्ड में अंकित प्रपत्र के कॉलम सं० 12 में दिनांक 21/8/2017 से 24/09/2018 तक कुल 399 दिवस की ब्याज राशि 6,404- रुपये के बजाय दिनांक 02/09/2017 से दिनांक 24/09/2018 तक कुल 387 दिवस का ब्याज राशि 6,211- रुपये पढ़ी जावे। कॉलम सं० 13 में कुल मुआवजा राशि 1,28,450- रुपये के बजाय 1,28,257- रुपये पढ़ी जावे। नीचे दिये गये विवरण में क्र०सं० 1 में कुल प्रतिकर राशि 1,28,450- रुपये के बजाय 1,28,257- रुपये तथा क्र० सं० 3 में शुद्ध भुगतान योग्य राशि 1,28,450- रुपये के बजाय 1,28,257- रुपये अक्षरे एक लाख अठारह हजार दो सौ सत्तावन रुपये पढ़ी जावें।



(राकेश कुमार) प्रशासन
अति० जिला कलेक्टर (प्रशासन)
एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति),
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं -

1. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा
2. तहसीलदार, भीलवाड़ा
3. हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार श्री मोती पुत्र धन्ना कुम्हार, निवासी पान्सल, तहसील व जिला भीलवाड़ा

अति० जिला कलेक्टर (प्रशासन)
अति० सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति),
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा